vè;k; 1

iLrkouk

1-1 i"BHkfe

भोजन हर जीवित प्राणी के अस्तित्व का आधार है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ लोगों को सस्ती दरों पर पर्याप्त खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। अत्यधिक गरीबी और भूख का उन्मूलन, संयुक्त राष्ट्र के सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों के अंतर्गत एक लक्ष्य है। आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों पर मानव अधिकारों एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र की सार्वभौमिक घोषणा, जिसका भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है, सभी राज्यों पर उसके नागरिकों को पर्याप्त खाद्य प्रदान करने का उत्तरदायित्व भी डालती है।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 21, भारत के सभी नागरिकों को जीवन का अधिकार प्रदान करता है। संविधान का अनुच्छेद 47 प्रावधान करता है कि राज्य अपने लोगों को पोषण–स्तर तथा जीवन–स्तर को उठाने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार को अपना प्रमुख कर्त्तव्य मानेंगे।

भारत सरकार (उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं लोक संवितरण मंत्रालय के माध्यम से) राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से लोक संवितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्राप्त खाद्य का संवितरण करके खाद्य सुरक्षा का उद्देश्य पूरा करती है। पीडीएस, विगत सात दशकों से आवश्यकता आधारित प्रणाली से अधिकार आधारित पद्धति के रूप में विकसित हुई, जिसका विवरण तालिका 1 में दिया गया है।

rkfydk 1% ykd lforj.k i.kkyh dk fodkl

लोक संवितरण प्रणाली (1942–1992)	अनिवार्य पदार्थों का लोक संवितरण अन्तर– विश्व युद्ध अवधि के दौरान भारत में विद्यमान था। शहरी दुर्लभ क्षेत्रों में खाद्यान्नों के संवितरण पर अपने फोकस के साथ, पीडीएस 1960 की अत्यधिक खाद्य कमी से प्रकट हुई थी। पीडीएस ने खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि की रोकथाम में महत्वपूर्ण योगदान दिया था तथा शहरी उपभोक्ताओं को खाद्य की पहुंच को सुनिश्चित किया था। चूंकि राष्ट्रीय कृषि उत्पादन में हरित क्रान्ति के परिणामस्वरूप वृद्धि हुई इसलिए पीडीएस की पहुंच 1970 तथा 1980 के दशकों में जनजातीय ब्लाकों तथा अत्यधिक गरीबी वाले क्षेत्रों तक बढ़ा दी गई थी।

पुर्नोत्थान लोक संवितरण प्रणाली	नवीकृत लोक संवितरण प्रणाली (आरपीडीएस), पीडीएस को मजबूत और कारगर बनाने तथा दूर–दराज, पहाड़ी, दूरस्थ क्षेत्रों तथा उन क्षेत्रों, जहीं बड़ी संख्या में गरीब लोग रहते हैं में इसकी पहुंच को सुधारने की दृष्टि से जून, 1992 में शुरू की गई थी। इसमें क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रम जैसे सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी), मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी) तथा पीडीएस अवसरंचना के सुधार के संबंध में कुछ निर्दिष्ट पहाड़ी क्षेत्र (डीएचए) शामिल किए गए थे। आरपीडीएस क्षेत्रों में संवितरण हेतु खाद्यान्न, राज्यों को केन्द्रीय निर्गम मूल्य से 50 पैसे कम पर जारी किए गए थे। निर्गम का पैमाना 20 कि.ग्रा. प्रति राशन कार्ड तक था।
लक्षित लोक संवितरण प्रणाली	जून 1997 में, सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल) के परिवारों को विशेष कार्ड जारी करके तथा उन्हे विशेष रूप से आर्थिक सहायता प्राप्त कीमतें पर खाद्यान्न उपलब्ध करा कर इस प्रणाली को एक लक्षित लोक संवितरण (टीपीडीएस) के रूप में बुद्धीसंगत बनाया। टीपीडीएस में गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) के लोगो को भी शामिल किया गया था, हालांकि एपीएल लाभार्थियों के लिए कीमतें बीपीएल लाभार्थियों से अधिक रखी गई थी। सबसे गरीब लोगों के वर्ग में भूखमरी को कम करने के लिए तथा इस वर्ग के लोगों के लिए गुणवत्ता तथा पोषण दोनों के रूप में पीडीएस के लाभों को और अधिक पर्याप्त बनाने के लिए सरकार ने दिसम्बर 2000 में अन्त्योदय अन्न योजना (एएवाई) शुरू की।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एन.एफ.एस.ए.)	एन.एफ.एस.ए. एक ऐसे ढ़ाचे के लिए सांविधिक आधार प्रदान करता है जो लगभग दो–तिहाई लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा आश्वस्त करता है तथा भोजन के अधिकार को विद्यमान टीपीडीएस पर आर्थिक सहायता प्राप्त खाद्यान्न प्रदान करके, एक कानूनी हक देता है। अखिल भारतीय स्तर पर 2011 की जनगणना के अनुसार 75 प्रतिशत तक ग्रामीण और 50 प्रतिशत तक शहरी लोगों को एन.एफ.एस.ए. के अन्तर्गत शामिल करने पर विचार किया गया है तथा राज्यों को उपर्युक्त आवृतन के लिए विनिर्दिष्ट खाद्यान्न आवंटित किए जाएंगे। राज्य–वार प्रतिशतता आवृतन, उपयोग व्यय पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) सर्वेक्षण 2011–12 के आधार पर योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। चूंकि एन.एफ.एस.ए. के अन्तर्गत आवृतन को गरीबी अनुमानों से अलग कर दिया गया है इसलिए एपीएल तथा बीपीएल लाभार्थियों की अब तक अपनाई गई प्रणाली आगे संगत नहीं होगी।

स्रोतः मंत्रालय के अभिलेख

1-2 jk"Vªh; [kk| lqj{kk vfèkfu;e] 2013 dh eq[; foशksकrk,a vFkok iकoèkku

- एन.एफ.एस.ए. के अन्तर्गत लाभार्थियों की पहचान एक वर्ष के समय में अर्थात् 4 जुलाई 2014 तक पूर्ण करना।
- प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित आवृतन के अन्दर, राज्य सरकारों को एएवाई तथा प्राथमिकता परिवारों की पहचान करनी थीं; विद्यमान एएवाई परिवारों की ग्राह्यता 35 कि.ग्रा. प्रति परिवार प्रति माह पर संरक्षित करना जबकि ऐसे प्राथमिकता परिवारों के प्रत्येक सदस्य को 5 कि.ग्रा. खाद्यान्न प्रति माह मिलेंगे।
- एन.एफ.एस.ए. के शुरू होने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए चावल, गेहुं और मोटा अनाज के लिए नियत आर्थिक सहायता प्राप्त कीमतें क्रमशः ₹ 3/₹ 2/₹ 1 प्रति किलो तथा उसके पश्चात् उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के साथ उचित प्रकार से जोड़ा जाना है।
- किसी राज्य को एन.एफ.एस.ए. के अन्तर्गत खाधान्न के वार्षिक आबंटन के मामले में सामान्य टीपीडीएस के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों के लिए खाद्यान्न की वार्षिक उठाव औसत का संरक्षण करना।
- गर्भवती महिलाएं तथा दूध पिलाने वाली माताएं न्यूनतम ₹6,000 प्रति प्रसव का मातृत्व लाभ एवं भोजन लेने की हकदार हैं।
- 6 माह से 14 वर्षों तक की आयु वर्ग से बच्चे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन की जा रही क्रमशः समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) तथा मध्याह्न भोजन (म.भो.) योजना के अंतर्गत भोजन के पात्र हैं।
- राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से 18 वर्ष अथवा अधिक की ज्येष्ठ महिला परिवार के मुखिया के रूप में माना जाना।
- गाह्य लाभार्थियों को उनकी ग्राह्यता के अनुसार खाद्यान्न की आपूर्ति न किए जाने के मामले में खाद्य सुरक्षा भत्ते का प्रावधान।
- उन राज्यों में जहां विद्यमान मशीनरी का उपयोग करने अथवा पृथक तन्त्र की स्थापना करने का लचीलापन है, वहां जिला तथा राज्य स्तरों पर शिकायत समाधान तन्त्र की स्थापना करना।
- केन्द्र सरकार राज्य को खाद्यान्न के अन्तर्राज्यीय आवाजाही संचालन तथा उचित मूल्य दुकानों (एफपीएस) के डीलरों को प्रदत्त लाभ के प्रति उसके द्वारा किए गए व्यय को पूरा करने में सहायता प्रदान करेगी।

- सार्वजनिक डोमेन, सामाजिक लेखापरीक्षा तथा सतर्कता समितियों में टीपीडीएस संबंधी अभिलेख प्रस्तुत करने में पारदर्शिता एवं जवाबदेही के प्रावधान।
- जिला शिकायत समाधान अधिकारी द्वारा अनुशांसित राहत का पालन करने में विफलता के मामले में राज्य खाद्य आयोग द्वारा सरकारी कर्मचारी अथवा प्राधिकारी पर लगाए जाने वाले दण्ड के लिए प्रावधान।
- केन्द्रीय पूल से राज्य को खाद्यान्न की कम आपूर्ति के मामले में, केन्द्र सरकार राज्य सरकार को कम आपूर्ति की सीमा तक निधियां प्रदान करेगी।

1-3 ,u-,Q-,l-,- dh rqyuk esa VhihMh,l dh fo'ks"krkvksa dh rqyuk

एन.एफ.एस.ए., विद्यमान टीपीडीएस पर निर्भर करता है। तथापि,विद्यमान टीपीडीएस में कमियों को दूर करने तथा अभिप्रेत लाभार्थियों की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एन.एफ.एस.ए. के अन्तर्गत टीपीडीएस में कुछ नई विशेषताओं को शामिल किया गया है। निम्नलिखित तालिका पहले के टीपीडीएस की विशेषताओं की एन.एफ. एस.ए. की विशेषताओं के साथ तुलना करती है:

rkfydk 2: ,u-,Q-,l-,- dh rqyuk esa VhihMh,l dh fo'ks"krkvksa dh rqyuk

fo'ks"krk	VhihMh,l	एन.एफ.एस.ए.
भोजन के अधिकार का निहितार्थ	कोई कानूनी समर्थन नहीं	कानूनी समर्थन
आवृतन	99.22[1] करोड़ लाभभोगी अर्थात् 18.04 करोड़ परिवार × 5.5 (01.03.2000 को एक परिवार में औसत सदस्य)	75 प्रतिशत तक ग्रामीण तथा 50 प्रतिशत तक शहरी लोग अर्थात् 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 81.34 करोड़ लाभभोगी।
श्रेणिया	एएवाई, बीपीएल एवं एपीएल	एएवाई तथा प्राथमिकता परिवार अर्थात्, राज्यों द्वारा निर्मित दिशानिर्देश/मापदण्ड के आधार पर पहचाने गए परिवार
लाभार्थियों की ग्राह्यता (श्रेणी–वार)	ए.ए.वाई. एवं बी.पी.एल.: 35 कि.ग्रा./परिवार/माह ए.पी.एल:–15–35 कि.ग्रा./ परिवार/माह	ए.ए.वाई.: 35 कि.ग्रा./परिवार/ मास, प्राथमिकता परिवार:–5 कि.ग्रा. /व्यक्ति/ मास

[1] 99.22 करोउ़ में 63.22 करोड़ एपीएल लाभार्थी शामिल हैं। एन.एफ.एस.ए. के अंतर्गत आवृतन अप्रत्याशित लाभार्थियों को कम करने के प्रति अधिक है।

fo'k"krk	VhihMh,l	एन.एफ.एस.ए.
खाद्यान्न की कीमते	ए.ए.वाई:चावल के लिए ₹ 3/कि.ग्रा., गेंहू के लिए ₹ 2/कि.ग्रा. बी.पी.एल. एवं ए.पी.एल. श्रेणियॉः कीमतें राज्यों में अलग–अलग हैं।	ए.ए.वाई एवं प्राथमिकता परिवारः चावल के लिए ₹ 3/कि.ग्रा., गेहूं के लिए ₹ 2/कि.ग्रा. तथा मोटे अनाज के लिए ₹ 1/कि.ग्रा.
लाभार्थियों की पहचान	केन्द्रः टी.पी.डी.एस में शामिल किए जाने के लिए राज्य–वार अनुमान जारी करता है। राज्यः पात्र परिवारों की पहचान करते हैं।	केन्द्रः एन.एफ.एस.ए. में शामिल किए जाने के लिए जनसंख्या के राज्य–वार अनुमान जारी करता है। राज्यः ए.ए.वाईः केन्द्र सरकार द्वारा जारी ए.ए.वाई योजना दिशानिर्देशों के अनुसार लाभार्थियों की पहचान करता है। प्राथमिकता परिवारः राज्य सरकार विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार लाभार्थियों की पहचान करते हैं।
केन्द्र–राज्य उत्तरदायित्व	केन्द्रः भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के माध्यम से खाद्यान्न का प्रापण, राज्य–वार आवंटन, राज्य भण्डारण डिपों तक खाद्यान्नों का परिवहन, एफ.सी.आई. के निर्देशित डिपोट्स तक राज्यः एफ.सी.आई. क्षेत्रीय गोदामों से राज्य भण्डारण डिपो तक (परिवहन की लागत राज्य द्वारा वहन की जाती है), राज्य भण्डारण डिपों से उचित मूल्य दुकानों तक (परिवहन की लागत ए.ए.वाई. लाभार्थी के अतिरिक्त या राज्य सरकार जनित द्वारा वहन की जाती है) खाद्यान्न की सुपुर्दगी लेता है।	केन्द्रः चालू प्रणाली के समान राज्यः एफ.सी.आई. डिपों से राज्य भण्डारण डिपों तक खाद्यान्न की सुपुर्दगी लेते हैं; राज्य भण्डारण डिपों से उचित मूल्य दुकानों तक खाद्यान्न की सुपुर्दगी (परिवहन की लागत केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा 23 राज्यों के संबंध में 50:50 तथा 13[2] राज्यों के संबंध में 75:25 के अनुपात में विभाजित की जाती है)

[2] पूर्वोत्तर के सात राज्य सिक्किम, जे. एण्ड के., हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सं.शा.क्षे., लक्षद्वीप, अं. एवं नि. द्वीपसमूह

fo'k"krk	VhihMh,l	एन.एफ.एस.ए.
शिकायत समाधान तंत्र	मॉनीटरिंग सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी राज्य सरकारें, राज्य, जिला, ब्लॉक एवं एफ.पी.एस. स्तरों पर स्थापित की जाने वाली सतर्कता समितियां	मॉनीटरिंग सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी राज्य सरकारें, जिला शिकायत समाधान अधिकारियों की नियुक्ति करती हैं, एन.एफ.एस.ए की समीक्षा एवं कार्यान्वयन हेतु राज्य खाद्य आयोग की स्थापना, राज्य, जिला, ब्लॉक तथा एफ.पी.एस. स्तरों पर स्थापित की जाने वाली सतर्कता समितियां
केन्द्र द्वारा राज्यों को खाद्यान्न की आपूर्ति न करना	कोई प्रावधान नहीं	केन्द्रीय पूल से किसी राज्य को खाद्यान की न्यून आपूर्ति के मामले में, केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को न्यून आपूर्ति के बराबर निधियाँ जारी करेगी।
खाद्य सुरक्षा भत्ता	कोई प्रावधान नहीं	ग्राहय व्यक्तियों को खाद्यान्न अथवा भोजन की ग्राह्य प्रमात्राओं की आपूर्ति न करने के मामले में, वे व्यक्ति, संबंधित राज्य सरकार से खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे जो केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाएगा।

1-4 ,u-,Q-,l-,- e: cnyu: d: fufgrkFk:

- **dUæ ljdkj gr: vfrfjä lfCIMh Hkkj–** टी.पी.डी.एस तथा अन्य कल्याण योजना के अन्तर्गत (आबंटनों को हिसाब में लेते हुए) 563.70 लाख एम.टी. के आवंटन के प्रति एन.एफ.एस.ए के कार्यान्वयन से पहले टी.पी.डी.एस. के अन्तर्गत अनुमानित खाद्य सब्सिडी ₹1,00,953 करोड़ थी। एन.एफ.एस.ए के अन्तर्गत 614.30 लाख एम.टी. की कुल अनुमानित वार्षिक खाद्यान्न आवश्यकता के तदनुरूप, अनुमानित सब्सिडी आवश्यकता[3] लगभग ₹1,27,733 करोड़ है। अतः यह एन.एफ.एस.ए. के कार्यान्वयन पर ₹26,780 करोड़ प्रति वर्ष का अतिरिक्त परिव्यय समाविष्ट करता है। ¼vuqcèk&1-1½

[3] वर्ष 2013–14 हेतु आर्थिक लागत के आधार पर

- jkT; ljdkjksa ds fy, foŸkh; fufgrkFkZ&राज्य/सं.शा. सरकारों को एन.एफ.एस.ए में सम्मिलित जिला तथा राज्य स्तरों पर शिकायत समाधान निकायों पर अतिरिक्त व्यय वहन करना अपेक्षित है।

- dsUæ rFkk jkT; ljdkjksa }kjk 0;; dk foHkktu& केन्द्र तथा राज्य/सं.शा. सरकारों को खाद्यान्न की अन्तर्राज्यीय आवाजाही, संचालन और उचित मूल्य दुकान डीलरों का लाभ आपस में बांटना होता है। मंत्रालय ने अगस्त, 2015 में व्यय के विभाजन हेतु नियम अधिसूचित किए हैं। एन.एफ.एस.ए. के प्रावधानों के अनुसार, गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली महिलाओं को मातृत्व लाभ के रूप में ₹6,000 प्रति प्रसव के भुगतान को बनाई जाने वाली योजना के अनुसार केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच बांटा जाना है।

pkVZ 1% [kk|kUu dk iki.k rFkk lforj.k

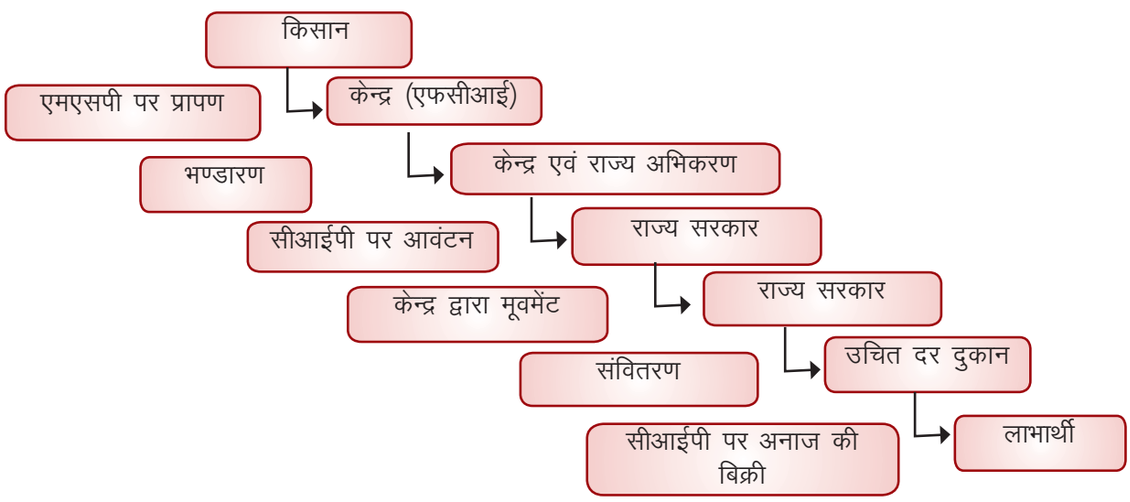

1-5 ,u-,Q-,l-,- dk dk;kfUor djus ds fy, vko';drk,@rS;kfj;k

एन.एफ.एस.ए. के अंतर्गत राज्यों/सं.शा.क्षे. को आवंटन आरम्भ करने के लिए मंत्रालय ने 19 अगस्त 2013 को राज्यों/सं.शा.क्षे. को प्रोफार्मा के माध्यम से निम्नलिखित उपायों के संबंध में अपनी तैयारियों को प्रमाणित करने का निर्देश दिया:

- ik= ifjokjksa@ykHkkfFkZ;ksa dh igpku& पात्र परिवारों की पहचान हेतु दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देना तथा अधिसूचना; तथा दिशानिर्देशों के अनुसार परिवारों की वास्तविक पहचान।

- jk'ku dkMZ tkjh djuk& राज्यों को महिला सशक्तिकरण से संबंधित

प्रावधानों को शामिल करते हुए नए राशन कार्ड जारी करने हैं।

- [kk|kUUk dk }kj rd lforj.k& आखरी मील तक लीकेज को रोकने के लिए, एन.एफ.एस.ए. ने उचित मूल्य दुकान तक खाद्यान्न के संवितरण का प्रावधान किया है।
- i;klr ,o oKkfud Hk.Mkj.k {kerk & राज्यों को खाद्य की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त भण्डारण क्षमता का सृजन करना अपेक्षित है।
- vkUrfjd f'kdk;r lekèkku rU=& कॉल सेन्टर, हेल्पलाईन, नोडल अधिकारियों के पद स्थापित करना।
- ftyk f'kdk;r lekèkku vfèkdkjh& राज्य/सं.शा.क्षे. में प्रत्येक जिले हेतु डीजीआरओ की नियुक्ति की जानी होती है।
- jkT; [kk| vk;kx& राज्य/सं.शा.क्षे. में राज्य खाद्य आयोग की स्थापना की जानी होती है।

मंत्रालय ने भी अनुबंध किया कि उपरोक्त तैयारी कार्यों को प्रत्येक राज्य/सं.शा.क्षे. द्वारा उस प्रकार से प्रमाणित किया जाना चाहिए जो कानूनी संवीक्षा का सामना कर सके। इसके अतिरिक्त, जुलाई 2014 में, मंत्रालय ने राज्यों को टीपीडीएस प्रचालनों के कम्प्यूटरीकरण जैसे लाभार्थियों का डिजीटीकरण, आपूर्ति चेन प्रबंधन का कम्प्यूटरीकरण, पारदर्शिता पोर्टल आदि की समाप्ति में अपनी तैयारी को प्रमाणित करने का निर्देश दिया।

1-6 ih-Mh-,l ¼fu;=.k½ vkns'k

मंत्रालय ने पी.डी.एस के अन्तर्गत आपूर्तियों को बनाए रखने तथा अनिवार्य पदार्थों की उपलब्धता तथा संवितरण को सुरक्षित करने के लिए 31 अगस्त 2001 को लोक संवितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 को अधिसूचित किया जिसे 29 जून 2004 को संशोधित किया गया था। पी.डी.एस (सी) आदेश, 2001 को एन.एफ.एस.ए. के अनुरूप लाने के लिए, मंत्रालय ने टी.पी.डी.एस. के अन्तर्गत आपूर्तियां बनाए रखने तथा अनिवार्य पदार्थों नामतः खाद्यान्न की उपलब्धता तथा संवितरण को सुरक्षित करने के लिए पी.डी.एस (सी) आदेश, 2001 के अतिक्रमण में 20 मार्च 2015 को लक्षित लोक संवितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 अधिसूचित किया। नए आदेश में लाभार्थियों की पहचान, पारदर्शिता एवं जवाबदेही, शिकायत निवारण तंत्र तथा लाभार्थी का डिजीटीकरण, राशन कार्ड तथा अन्य डाटाबेस आदि हेतु अतिरिक्त प्रावधान शामिल है। टीपीडीएस (सी) आदेश, 2015 की धारा 3 के तहत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में लक्षित लोक संवितरण प्रणाली के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु एन.एफ.एस.ए. के अंतर्गत पात्र परिवारों का राज्य–वार प्रतिशतता आवृतन को विनिर्दिष्ट किया गया था।

1-7 ,u-,Q-,l-,- d dk;kUo;u grq le; lhek

राज्य सरकारों को इन पात्र परिवारों की एन.एफ.एस.ए. के आरम्भ होने से एक वर्ष के भीतर अर्थात् 4 जुलाई 2014 तक पहचान की जानी थी। इसे बाद में अतिरिक्त छः माह की अवधि तथा फिर से इसे दोबारा छः माह तक बढ़ाकर 30 सितम्बर 2015 तक कर दिया गया था।

अक्तूबर 2015 को सभी 36 राज्यों/सं.शा.क्षे. में शामिल किए जाने वाले कुल 81.34 करोड़ लाभार्थियों के प्रति 41.57 करोड़ (51 प्रतिशत) लाभार्थियों को शामिल करते हुए 18 राज्यों/सं.शा.क्षे. ने एन.एफ.एस.ए. को लागू किया था। जैसाकि नीचे नक्शे में दिया गया है (हरा क्षेत्र उन राज्यों को दर्शाता है जिनमें एन.एफ.एस.ए. को लागू किया गया था):

fp= 1% ,u-,Q-,l-,- dk ykxw djus okys jkT;@l-'kk-{k=